



प्रेस विज्ञप्ति
02.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी एवं प्रमोटर एस. वासुदेवन को मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध की जा रही धन शोधन जांच के संबंध में 30.09.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। एस. वासुदेवन को 01.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए उन्हें 14 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के विरुद्ध बेंगलुरु शहर के विभिन्न पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 419, 420 और 120बी के अंतर्गत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई, ईओ-I, नई दिल्ली द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटर के विरुद्ध भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि कंपनी परियोजना का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा करने और ग्राहकों को कब्जा सौंपने में विफल रही। आरोप है कि कंपनी ने भोले-भाले ग्राहकों को यह प्रस्ताव देकर अपने झांसे में लिया कि फ्लैट का कब्जा गृह-खरीदारों को सौंपे जाने तक निर्माण-पूर्व ईएमआई का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। हालांकि, कंपनी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही और परियोजना/फ्लैटों का निर्माण पूरा नहीं किया। बिल्डर ने न तो गृह-खरीदारों को आवासीय इकाइयों का कब्जा दिया और न ही उनके द्वारा जमा की गई धनराशि वापस की तथा संपूर्ण अग्रिम बुकिंग राशि/ऋण राशि का गबन कर लिया।

इससे पूर्व, ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने इस मामले में 01.08.2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके दौरान विभिन्न परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।

आगे की जांच में यह पता चला है कि मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एस. वासुदेवन (मुख्य प्रमोटर) के साथ मिलकर गृह-खरीदारों के साथ 927.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की तथा उक्त धनराशि के विरुद्ध अपार्टमेंट/इकाइयों का कब्जा नहीं दिया, जिससे धनराशि को बेईमानीपूर्वक अपने पास रखा गया और डायवर्ट किया गया। की गई जांच तथा एकत्रित सामग्री के आधार पर ईडी, बेंगलुरु ने इससे पूर्व 04.10.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसके माध्यम से पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 423.378 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

गृह-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के संबंध में मेसर्स ओजोन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओजोन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओजोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीबीआई, ईओ-I, नई दिल्ली द्वारा दर्ज 03 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत समानांतर जांच भी शुरू की गई है। एस. वासुदेवन इन तीनों जांचाधीन कंपनियों में सामान्य निदेशक हैं।

एस. वासुदेवन की गिरफ्तारी जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य अपराध से अर्जित आय के सृजन, डायवर्जन, लेयरिंग एवं उपयोग की आगे जांच करना है, जिसमें प्रमोटर तथा विभिन्न समूह संस्थाओं और उन व्यक्तियों की भूमिका भी शामिल है, जिनके माध्यम से धनराशि को रूट किया गया।

आगे की जांच जारी है।